रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 456] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 1974/कार्तिक 15, 1896

No. 456] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 1974/KARTIKA 15, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

ORDER

New Delhi, the 6th November 1974

S.O. 632(E)/18FA/IDRA/74.—Whereas Messrs Vijay Manufacturing Company (Private) Limited, Badnera, owning an industrial undertaking, is being wound up under the supervision of the Bombay High Court and the business of the Company is not being continued;

And whereas the Central Government, after obtaining permission from that High Court under sub-section (2) of section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), (hereinafter in this Order referred to as the said Act), had caused an investigation to be made by a body of persons into the possibility of running or restarting the said industrial undertaking;

And whereas the Central Government being of opinion that there are possibilities of running or restarting the said Industrial undertaking, made an application under sub-section (1) of section 18FA of the said Act to the Bombay High Court praying for permission to appoint any person or body of persons to take over the management of the said industrial undertaking and that the said High Court has, by its order dated the 24th October, 1974, granted the said permission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FA of the said Act, the Central Government hereby authorises the Maharashtra State Textile Corporation Limited, Bombay (hereinafter referred to

as the Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, Messrs Vijay Manufacturing Company (Private) Limited, Badnera subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) the Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) the Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette;

(iii) the Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier if it considers necessary to do so.

This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F. 3/8/73-C.U.C.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग तथा नागरिक संभरण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1974

का० आ० 632 (अ)/18च क/आई० डी० आर० ए०/74.—यतः मेसर्स विजय मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बदनेरा का, जो एक औद्योगिक उपक्रम का स्वामी है, बम्बई उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन समापन हो गया है और इस कम्पनी का कारोबार नहीं चल रहा है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस आदेश में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 15क की उपधारा (2) के अधीन उस उच्च न्यायालय से अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम को चालू रखने या फिर से चलाने की संभावना का अन्वेषण व्यक्तियों के एक निकाय द्वारा कराया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने, यह राय होने पर कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को चालू रखने या फिर से चलाने की संभावनाएं हैं, उक्त अधिनियम की धारा 18च क की उपधारा (1) के अधीन उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय नियुक्त करने की अनुज्ञा के लिए प्रार्थना करते हुए बम्बई उच्च न्यायालय को आवेदन किया था और उक्त उच्च न्यायालय ने, अपने आदेश, तारीख 24 अक्तूबर, 1974 द्वारा, उक्त अनुज्ञा दे दी है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 18च क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम लि० बम्बई (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) को उक्त समग्र उपक्रम, अर्थात् मैसर्स विजय मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लि०, बदनेरा का प्रबन्ध निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, ग्रहण करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत नियंत्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निदेशों का अनुपालन करेगा ;

(2) प्राधिकृत नियंत्रक, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष के लिए पद धारण करेगा ; और

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि ऐसा करना आवश्यक समझे तो, प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति पहले भी समाप्त कर सकेगी ।

यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा ।

[सं० फा० 3/8/73—सी० यू० सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974